अनुदान संख्या 30 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 30–MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,00*	*. .*	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	3464,61,00	3892,61,00	3774,24,21	–118,36,79
पूरक	Supplementary	428,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				48,62,63
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		230,41,00	175,44,45	–54,96,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				53,20,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (11836.79 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 42800.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.11836.79 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of Rs.42800.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	12803.00			
पू.	S.	1568.00	15016.46	15166.62	+ 150.16
पु.	R.	645.46			
मुख्य शीर्ष "2601" विदेशी मामले	Major Head "2601" External Affairs				
मू.	O.	206192.00			
पू.	S.	34432.00	233093.54	225062.85	–8030.69
पु.	R.	–7530.46			
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहायोग	Major Head "3605" Technical and Economic Cooperation with Other Countries				
मू.	O.	127465.00			
पू.	S.	6800.00	136288.37	137194.74	+ 906.37
पु.	R.	2023.37			

(I) 23.60 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs 23.60 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2061" -

(क) "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय" - 82300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 22736.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 105036.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कार्यकलापों के यथाअभिकल्पित रूप में कार्यान्वित न होने के कारण 17843.93 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय

(A) Major Head "2061" –

(a) "Special Diplomatic Expenditure – Discretionary Expenditure" – the original provision of Rs.82300.00 lakhs was augmented to Rs.105036.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.22736.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.17843.93 lakhs – due to non-implementation of the activities as

आकस्मिक स्वरूप का और अन्य देशों की राजनीतिक स्थितियों द्वारा प्रभावित होने वाला था।

(ख) ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - 30.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 82.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 112.40 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित किए जाने के कारण 39.04 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(i) ''अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' - 364.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2047.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2411.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो दक्षिण दोहा निधि के लिए कम आवश्यकता होने के कारण 523.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''संयुक्त राष्ट्र संगठन'' - 6625.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 962.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7587.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के कुछ अंशदान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 447.93 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) ''अन्य व्यय - संस्थानों को अनुदान'' - 6615.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6815.90 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 143.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(क) ''भूटान को सहायता'' - 54910.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान

envisaged as the expenditure under this head was of contingent nature and affected by political situation in other Countries.

(b) "International Conferences/Meetings - International Conferences/Meetings" – the original provision of Rs.30.40 lakhs was augmented to Rs.112.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.82.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.39.04 lakhs– due to postponement of SAARC Summit.

(c) "International Co-operation" –

(i) "Other International Organisations" – the original provision of Rs.364.00 lakhs was augmented to Rs.2411.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2047.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.523.28 lakhs - due to less requirement for South Doha Fund.

(ii) "United Nations Organisations" – the original provision of Rs.6625.00 lakhs was augmented to Rs.7587.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.962.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.447.93 lakhs - due to non-finalisation of some contribution to the United Nations Organisation.

(d) "Other Expenditure – Grants to Institutions"– the original provision of Rs.6615.90 lakhs was augmented to Rs.6815.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.143.38 lakhs - due to less requirements of funds by the United Service Institute for UN Peace Keeping Force.

(B) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" -

(a) "Aid to Bhutan" – the original provision of Rs.54910.55 lakhs was augmented to

प्राप्त करके बढ़ाकर 59910.55 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो भूटान की राजसी सरकार द्वारा ताला पन बिजली परियोजना और डगसंग सीमेंट संयंत्र के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 2813.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''म्यांमार को सहायता'' - 2500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो म्यांमार में पूर्व आईएनए कार्मिक को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी को मूर्तरूप न दिए जा सकने, क्योंकि सभी दावेदारों की पहचान को स्थापित नहीं किया जा सका था, के कारण 335.60 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय नियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी'' - 191.09 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पासपोर्ट कार्य से संबंधित कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - विशेष प्रतिनिधिमंडल'' - 138.14 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र महासभा के गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल की संख्या में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बंगलादेश को सहायता'' - 3058.24 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलादेश में राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन की वजह से बाढ़ राहत सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री का वितरण न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''मालदीव को सहायता'' - 183.78 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा मंत्रालय से नामे दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

Rs.59910.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2813.92 lakhs – due to less requirement of funds for Tala Hydro Electric Project and Dugsung Cement Plant by the Royal Government of Bhutan.

(b) "Aid to Myanmar" – the original provision of Rs.2500.00 lakhs was augmented to Rs.4000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.335.60 lakhs – due to non-materialisation of ex-gratia payment to Ex-INA personnel in Myanmar as the identity of all the claimants could not be established.

(III) Under Major Head "2061" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Passport and Emigration – Payment to States/Union Territories for administration of Central Acts and Regulations" – saving of Rs.191.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to receipt of less claims for passport work from the State Governments.

(B) "Other Expenditure – Special Delegations" – saving of Rs.138.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to reduction in size of non-official delegations to the General Assembly of the United Nations.

(IV) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Aid to Bangladesh" – saving of Rs.3058.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-distribution of material under Floor Relief Assistance Programme owing to changed political situation in Bangladesh.

(B) "Aid to Maldives" – saving of Rs.183.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-receipt of debit claim from Ministry of Defence.

(गा) ''आपदा राहत के लिए सहायता'' - 350.04 लाख रु. की बचत (510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से लेबनान के लिए राहत पूर्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Aid for Disaster Relief" – saving of Rs.350.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.510.00 lakhs) was due to non-materialisation of relief supplies to Lebanon owing to administrative reasons.

(घा) ''एससीएएपी कार्यक्रम'' - 189.92 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञों की संख्या में कमी आने और प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से उपहार में भारतीय उपस्कर दिए जाने संबंधी मांग को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) "SCAAP Programmes" – saving of Rs.189.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to decline in the number of Indian experts to be deputed abroad and non-finalisation of demands for gifting Indian equipment owing to procedural delay.

(ङ) ''अफ्रीकी देशों को सहायता'' - 5000.49 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सहायता कार्यक्रमों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(E) "Aid to African Countries" – saving of Rs.5000.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-implementation of the aid programmes owing to political instability in African Countries.

(चा) ''बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम'' - 374.13 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से एशियाई भारत सहयोग निधियों को अंशदान की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(F) "Multilateral Economic Relation Programme" – saving of Rs.374.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-payment of contribution towards Asian India Co-operative Funds owing to administrative reasons.

(V) दों शीर्षों के अंतर्गत 156.61 लाख रु. की बचतें हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 53 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.156.61 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent and 53 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (15666.46 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.15666.46 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - विदेश मंत्रालय'' - 676.46 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 826.62 लाख रु. था।

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of External Affairs" – Rs.676.46 lakhs. Actual excess, however, was Rs.826.62 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2061'' -

(B) Major Head "2061" -

(क) ''प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'' - 137.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 132.32 लाख रु. था।

(a) "Training – Foreign Service Training Institute" - Rs.137.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.132.32 lakhs.

(ख) ''मनोरंजन प्रभार - गणमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन'' - 1878.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1839.92 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(क) ''नेपाल को सहायता'' - 11800.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 12140.18 लाख रु. था।

(ख) ''आईटीईसी कार्यक्रम'' - 1175.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 198.30 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2061'' -

(क) ''दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना'' - 1076.05 लाख रु. का अधिक व्यय (5141.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 95140.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ देशों में जीवन-यापन की लागत में भारी वृद्धि होने और कार्यालय उपस्कर, किराए और श्रम प्रभारों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन'' - 779.60 लाख रु. का अधिक व्यय (248.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 12496.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(क) ''श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम'' - 353.70 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रीलंका सरकार को रक्षा आपूर्ति किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य विकासशील देशों को सहायता'' - 2033.34 लाख रु. का अधिक व्यय (39199.45 लाख रु. के

(b) "Entertainment Charges – Entertainment of Dignitaries – Rs.1878.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1839.92 lakhs.

(C) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" –

(c) "Aid to Nepal" – Rs.11800.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.12140.18 lakhs.

(d) "ITEC Programme" – Rs.1175.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.198.30 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2061" -

(a) "Embassies and Missions – Management and Establishment" – excess of Rs.1076.05 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.95140.00 lakhs including supplementary grant of Rs.5141.00 lakhs) was due to steep rise in cost of living in some countries and hike in office equipment, rental and labour charges.

(b) "Passport and Emigration - Central Passport and Emigration Organisation" – excess of Rs.779.60 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.12496.00 lakhs including supplementary grant of Rs.248.00 lakhs) was due to settlement of pending bills of Security Press, Nasik.

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" –

(a) "Sri Lanka – Other Aid Programmes" – excess of Rs.353.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to Defence Supplies made to Govt. of Sri Lanka.

(b) "Aid to Other Developing Countries" – excess of Rs.2033.34 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफगानिस्तान में चालू परियोजनाओं का निधीयन किए जाने के कारण हुआ।

sanctioned provision of Rs.39199.45 lakhs) was due to funding of ongoing projects in Afghanistan.

(ग) ''केंद्रीय एशिया को सहायता'' - 601.63 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1400.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्मेनिया को ट्रैक्टरों की आपूर्ति किए जाने और ताजिकिस्तान को टाटा बसों का उपहार दिए जाने के कारण हुआ।

(c) "Aid to Central Asia" – excess of Rs.601.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs including supplementary grant of Rs.300.00 lakhs) was due to supply of tractors to Armenia and gift of TATA buses to Tajikistan.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	12900.00	10850.00	10049.52	–800.48
पु.	R.	–2050.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3100.00	3350.00	3974.93	+624.93
पु.	R.	250.00			
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	7041.00	3521.00	3520.00	–1.00
पु.	R.	–3520.00			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''अन्य भवन - निर्माण - विदेश मामले'' के अंतर्गत 2850.48 लाख रु. की बचत (12900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) काबुल और काठमांडू में परियोजनाओं के लिए बोलियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''भूटान की सरकार को कर्ज'' के अंतर्गत 3520.00 लाख रु. की बचत (7040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान की राजसी सरकार द्वारा ताला पन बिजली परियोजना के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेश मामले'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 874.93 लाख रु. का अधिक व्यय (3100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) देश से बाहर मिशनों में दूतावास के निवास स्थान का अधिग्रहण किए जाने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs 1.00 lakh remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings-Construction- External Affairs" - saving of Rs.2850.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12900.00 lakhs) was due to non-finalisation of bids for the projects in Kabul and Kathmandu.

(III) Under Major Head "7605" - "Loans to Government of Bhutan" – saving of Rs.3520.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7040.00 lakhs) was due to less requirement of funds for Tala Hydro Electric Project by the Royal Government of Bhutan.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing – External Affairs" – excess of Rs.874.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3100.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for acquisition of embassy residences in missions abroad.